



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले 05 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास व 45,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 749/10 धारा-147,148,307/149 भा०द०सं० व 2बी(12) डकैती एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.अजीत सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह नि०-मउनरवट थाना सजेती, कानपुर नगर 2.हुलासी पुत्र गरीबा प्रजापति नि० छोटी बडोखर थाना को०नगर बोंदा 3.रामू तिवारी पुत्र राजाराम नि०-गुगौली थाना चिल्ला बोंदा 4.शिवदेव मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र रामगोपाल नि०-डिघवट थाना चिल्ला बोंदा 5.दीपू दुबे पुत्र नन्हे दुबे नि० ग्राम बडोखर खुर्द थाना कोतवाली नगर बोंदा को दोष सिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष का कारावास व 45,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री सुभाष कुमार



विवेचक-
एस०एच०ओ०
विवेकानन्द तिवारी



पैरोकार- थाना मुस्करा
हे०का० ज्ञानेन्द्र कुमार